17/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी
उप. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। नंबर
से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2024/326

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:41 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

मनीराम बनाम ओम दुर्गेसर व अन्य्

किस्म मुकदमाः–212 R.T.Act प्रकरण संख्याः–137/2024

GCMS-2024/326

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/02/25		

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राकेश सारस्वत उपस्थित । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 13 एस.टी.बी. के प.न. 26/325 (9) कि0न0 11 ता 14/0.429 है0 नहरी, अ0क0बा0, प0न0 27/325 (10) कि0न0 6/0.013 है0, 7/0.063 है0, 14/0.253 है0, 15/1/0.228 है0, 15/2/0.025 है0 खाला, 16/1/0.228 है0, 16/2/0.025 है0 खाला, 17/0.253 है0, 23/2/0.127 है0, 24/0.253 है0, 25/1/0.228 है0, 25/2/0.025 है0 = 1.721 है0 नहरी मय खाला कुल 2.150 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता सं. 53 से भी साबित है उक्त भूमि का उपयोग वा उपभोग करने का पूर्णतया अधिकारी है। जमाबन्दी संलग्न मिसल है।

जैरवाद वाके चक 13 एस.टी.बी. में प.न. 25/325 से 29/325 के लगते सूरतगढ ब्रान्च चल रही हैं तथा प.न. 27/325 के कि0न0 15,16,25 में उतर से दक्षिण खाला हैं जो कि प0न0 27/326 के कि0न0 1 ता 5 में स्वीकृत पूर्व से पश्चिम खाला से मिलता हैं। जो कि संलग्न नक्शा से भी साबित है। प.न. 27/326 से 30/326 तक खाला मौका पर टूट चुका है। जिसे मरम्मत करने हेतु सिचांई विभाग से अनापति प्रमाण पत्र जारी हैं एवं बजट भी स्वीकृत खाला की मरम्मत के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी हो चुकी हैं। जैर वाद रकबा के प0न0 27/326 से 30/326 तक का स्वीकृत पक्का खाला जर्जर अवस्था में होने के कारण सूरतगढ ब्रान्च की सीमा के भीतर एक अस्थाई खाला चल रहा हैं। जो कि अस्वीकृत हैं। प्रार्थी के खातेदारी रकबा से बाहर नहर की सीमा में चल रहा हैं। नहर की सीमा बढाने के कारण उक्त अस्वीकृत अस्थाई खाला बन्द होने की कगार पर हैं। अप्रार्थी नं0 1 जो कि अप्रार्थी नं0 2 का पति हैं। पत्नी सरपंच होने के कारण काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अतः अप्रार्थी नं0 2, अप्रार्थी नं0 1 के दबाब में आकर षड़यन्त्रपूर्वक बिना खाला निर्माण की अनुमति लिये वा बिना खाला मंजूर करवाये मुझ प्रार्थी की भूमि प.न. 27/325 का कि.न. 6, 7 में खाला का म–नरेगा के तहत निर्माण करवाने को आमादा है। यदि उनके द्वारा उक्त निर्माण को कार्य रूप में परिणत कर दिया तो ना केवल प्रार्थी के खातेदारी भूमि जिसमें फसल मौका पर खड़ी है को नुकसान होगा बल्कि खातेदारी भूमि भी खाला के नीचे दब जावेगी जबकि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में कोई खाला मंजूर नहीं है। राज्य सरकार से बजट भी पूर्व में चल रहें स्वीकृत खाला के मरम्मत के लिये मंजूर हुआ हैं। ऐसी अवस्था में यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी की भूमि बर्बाद हो जावेगी, प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव मौका पर झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना रहेगी। प्रार्थी एक खातेदार कृषक हैं। बिना खातेदार की सहमति के खातेदारी रकबा पर किसी प्रकार का निर्माण नही किया जा सकता। अतः सुविधा सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में साबित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड से साबित हैं कि प्रार्थी खातेदार कृषक हैं। जो अपनी खातेदारी का पूर्ण उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र हैं। अप्रार्थीगण को नियमानुसार तामिल करवाई जा चुकी हैं। बाद तामिल अप्रार्थीगण हाजिर नही आये हैं। प्रार्थी के कथनो के विपरीत कोई साक्ष्य पेश नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को सन्देह से परे मानकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी हम स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि वे ताफैसला वाद प्रार्थी [illegible] के प.न. 26/325 (9) कि0न0 11 ता 14/0.429 है0 नहरी, अ0क0[illegible]/325 (10) कि0न0 6/0.013 है0, 7/0.063 है0, 14/0.253 है0, 15/[illegible]228 [illegible] 15/2/0.025 है0 खाला, 16/1/0.228 है0, 16/2/0.025 है0 खाला, 17/[illegible] है0, 23/2/0.127 है0, 24/0.253 है0, 25/1/0.228 है0, 25/2/0.025 [illegible] 1.721 है0 नहरी मय खाला कुल 2.150 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय खाला खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से ना [illegible] पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
सूरतगढ